

कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना मध्यप्रदेश

क्रमांक/ 121 / राहत / न.क्र.-36 / 2017

पन्ना, दिनांक 9 जून 2017

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश भण्डार क़य नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में निहित प्रक्रिया के अनुरूप जिले में निम्नलिखित बाढ़ बचाव सामग्री का क़य, निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता से ई-टेंडरिंग के माध्यम से किया जाना है। कलेक्टर पन्ना का ई-टेंडरिंग पोर्टल न होने के कारण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग पवई के ई-पोर्टल www.mpeproc.gov.in के माध्यम से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा निविदा आमंत्रित की जा रही है। क़य की जाने वाली सामग्री, उनकी शर्तें / निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी जिले की वेबसाइट panna.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

क़य की जाने वाली सामग्री का नाम

क	टेंडर नं.	नाम सामग्री जो क़य की जाना है	अनुमानित राशि	निविदा की प्रतिभूति राशि	ई-पोर्टल का नाम
1	8629	मोटर बोट क्षमता 6-8 व्यक्तियों की इंजिन सहित फायवर विथ 20 एचपी, पेट्रोल/कैरोसीन फोर स्टोक	750000.00	15000.00	mpeproc.gov.in
2		मोटर बोट ट्राली 08 व्यक्तियों की क्षमता वाली मोटर बोट के लिये।	125000.00	2500.00	mpeproc.gov.in

—:निविदा की शर्तें :-


1. निविदाकर्ता को सामग्री सप्लाय करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव व फर्म का रजिस्ट्रेशन एवं टिन नम्बर होना अनिवार्य होगा।
2. क़य की जाने वाली सामग्री की मात्रा परिवर्तित हो सकती है।
3. प्रत्येक आइटम्स के लिये एक इकाई के लिये दरों को उद्धृत किया जाना चाहिये।
4. पन्ना तक टैक्स और डिलेवरी प्रभारों के साथ सभी दरें सम्मिलित होंगी।
5. प्रदाय की गई सामग्री की आवश्यक जांच उपरांत गुणवत्ता सही पाये जाने के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
6. प्रदाय की गई समस्त सामग्री का एक वर्ष तक मेन्टेन्स करना निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी अन्यथा की स्थिति में अमानत राशि जप्त की जा सकेगी।
7. किसी भी सामग्री की एक समान दर होने पर प्रदायकर्ता फर्म की मानक स्टेण्डर्ड के आधार पर कलेक्टर स्वीकृति के लिये स्वतंत्र होंगे।
8. निविदा के साथ प्रतिभूति की राशि डी.डी. कलेक्टर पन्ना के नाम से अमानत राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. आपदा की स्थिति में कलेक्टर द्वारा नियत समय-सीमा में बिना विलम्ब के सामग्री संधारण और उसे तत्काल उपयोग योग्य बनाने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
10. निविदा स्वीकार करने या न करने का पूर्ण एवं अन्तिम अधिकार कलेक्टर पन्ना को होगा।
11. निविदा में उल्लेखित समयसीमा के पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
12. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का केटलॉग तथा स्पेसिफिकेशन संलग्न करना आवश्यक होगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में पन्ना जिले के अंतर्गत ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
14. निविदा स्वीकृत किये जाने के अधिकतम सात दिवस के अन्दर सम्पूर्ण सामग्री प्रदान करना अनिवार्य होगा।
15. म.प्र.भण्डार क़य नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करना होगा एवं उक्त नियम में वर्णित सभी शर्तें मान्य करना होगी।


कलेक्टर

जिला पन्ना मध्यप्रदेश
पन्ना, दिनांक 9 जून 2017

पू0क्र0 / 122 / राहत शाखा / न.क्र.-36 / 2017
प्रतिलिपि:-

- 1- राहत आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
- 2- आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल। कृपया दैनिक समाचार पत्रों में निविदा सूचना को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 3- महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर।
- 4- कमिश्नर सागर संभाग सागर।
- 5- सहायक संचालक जनसंपर्क कार्यालय पन्ना।
- 6- कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड चस्पा दें।


कलेक्टर
जिला पन्ना मध्यप्रदेश